शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी

24/6/23 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट ल्योढ़ मे पेश हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त। जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ख.न. 1101/1263 रकबा 0.6603 हैक्ट. प्रार्थी की स्वयं की कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण कृषि कार्य मे व्यवधान उत्पन्न करते है तथा सीमाज्ञान नही करने दे रहे है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मौके व रेकर्ड की यथास्थिति से पाबंद करावे। तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपने जवाब को ही बहस मानने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नहीं होते है। प्रार्थी स्वयं की भूमि पर निषेधाज्ञा चाह रहा है। अगर प्रार्थी को सीमाज्ञान / पत्थरगढी करवानी है तो इसके लिए वह सक्षम न्यायालय मे नियमानुसार वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से रम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.6.23 को [illegible] कोर्ट कैम्प मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी 24.6.23
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
4 1
Reason: SelfAttested